न्यायालयः सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं (राजस्थान)

लिंक पीठासीन अधिकारीः– **आशीष कुमार कुमावत**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध(जमानत)प्रकरण संख्या–137/2026(CIS NO.156/26)

मुकेश कुमार पुत्र भंवरलाल निवासी मीणा मोहल्ला मुकुन्दगढ़, पुलिस थाना–मुकुन्दगढ़, जिला–झुंझुनूं(राज०) **.....प्रार्थी/अभियुक्त**

ब ना म

राज० राज्य जरिए लोक अभियोजक **.....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
एफआईआर सं. 48/25–26 थाना–आबकारी निरोधक दल, नवलगढ़
अपराध अंतर्गत धारा–16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थिति
1. श्री शंकरलाल मीणा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

आ दे श दिनांकः12.03.2026

1. यह जमानत आवेदन प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ द्वारा दिनांक 10.03.2026 को धारा–480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज किए जाने से व्यथित होकर पेश किया गया। नकल लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं केस डायरी तलब की गई।

2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया, झुंझुनूं के अवकाश होने से यह जमानत आवेदन सुनवाई हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

2. प्रकरण के तथ्यानुसार दिनांक 03.10.2026 को श्री विजयपाल सिंह जमादार प्रथम प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, नवलगढ़ द्वारा मय जाब्ता के मुखबिर खास से मिली इत्तला पर कस्बा मुकुन्दगढ़ मीणा मोहल्ला में अभियुक्त मुकेश कुमार के कब्जेशुदा रिहायशी घर से एक प्लास्टिक की बड़ी बोतल में करीबन 02 लीटर नाजायज हथकड़ शराब बरामद की गई। वक्त बरामदगी अभियुक्त मौके से फरार हो गया।

इत्यादि पर मौके की कार्यवाही कर आबकारी निरोधक दल, नवलगढ़ पर अभियोग संख्या–48/25–26 अपराध अंतर्गत धारा–16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त पांच अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित हुये हैं।

4 विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क है कि प्रार्थी के विरूद्ध झूठा मुकदमा बनाया है। प्रार्थी से प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं हुई है ना ही कोई बरामदगी होना शेष है। प्रार्थी मजदूरी पेशा व्यक्ति होकर दिनांक 09.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है जिसमें सजा मृत्यु या आजीवन कारावास की हो। प्रार्थी से कोई अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दो लीटर हथगड़ शराब बरामद किये जाने के आधार पर धारा–16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त समरूप प्रकृति का पांच अन्य प्रकरण दर्ज हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. उक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 02 लीटर हथकड़ शराब के बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद होने का आरोप है। इस बरामदगी के आधार पर पंजीकृत यह मामला अनुसंधानाधीन है। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त पांच अन्य प्रकरण संस्थित हुआ है, किंतु अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में दिनांक 09.03.2026 से अभिरक्षा में है, हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान व बरामदगी हो चुकी है। शेष अनुसंधान व अन्वीक्षा सम्पन्न होने में समय लगना संभाव्य है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ के संतुष्टिप्रद पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो मौतबिर जमानतें और पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे उक्त प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(आशीष कुमार कुमावत)
"लिंक अधिकारी"
सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं

8. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

SUBHASH CHANDRA SONI
Digitally signed by SUBHASH CHANDRA SONI
Date: 2026.03.13 11:22:41 +0530

(आशीष कुमार कुमावत)
"लिंक अधिकारी"
सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं